कार्यालय अधीक्षक,राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, नयागांव कोटा

email id- balakhomekota123@gmail.com

क्रमांक :– 392

संशोधित निविदा सूचना संख्या 05/2021–22

दिनांक :27.04.22

बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा में आवासरत बालको के भोजन हेतु मौसमी ताजा हरि सब्जी एवं ताजा फल की वित्त वर्ष 2022–23 हेतु क्रय एवं आपूर्ति बाबत पंत्रांक 326 दिनांक 28.03.22 के द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी थी पुनः उक्त निविदा को संशोधित कर दिनांक 06.05.22 को दोपहर 02.00 बजे तक मूहरबंद लिफाफों में बोलियां आमंत्रित की जाती है। बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट http://sje.rajasthan.gov.in या लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in एवं डी पी आर की वेबसाईट www.dipronline.org पर देखी जा सकती है ।

UBN:- (CED2223GSOB00005)

NIB CODE: CED2223A0004

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
कोटा

क्रमांकः सम्प्रेक्षण/2021–22/393–403

प्रतिलिपिः–

दिनांक :27.04.22

1. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त विज्ञप्ति की 03 प्रतियां भिजवाकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का नियमानुसार आपके विभाग की बेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावे एवं निविदा सूचना एक क्षेत्रीय स्तर के मुख्य दैनिक समाचार पत्र मे नियमानुसार प्रकाशित करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन हैं कि नियमानुसार विभागीय बेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/जिला परिषद/नगर निगम कोटा।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
कोटा

कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, नयागावं, कोटा

email id- balakhomekota123@gmail.com

क्रमांकः—असगृ / 2022 / 392

दिनांकः—27.04.22

मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ संशोधित सीमित निविदा 05 / 2021—22

बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा में आवासरत बालको के भोजन हेतु मौसमी ताजा हरि सब्जी एवं ताजा फल की वित्त वर्ष 2022—23 हेतु कय एवं आपूर्ति बाबत दिनांक 06.05.22 को दोपहर 02.00 बजे तक मूहरबंद लिफाफों में बोलियां आमंत्रित की जाती हैः—

क्र.सं.	विवरण	अधिकतम बालको की संख्या प्रतिदिन	अनुमानित मात्रा प्रति बालक प्रतिदिन	अनुमानित मूल्य वार्षिक	बिड प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)
1.	हरि सब्जी पत्तेदार मौसम अनुसार	50	0.100 कि.ग्रा.	रू0 0.76 लाख	रू. 200 मात्र	रू: 6300 / —
2.	सब्जी बिना पत्तेदार मौसम अनुसार	50	0.130 कि.ग्रा.	रू0 0.95 लाख		
3.	प्याज, अदरक, लहसून	50	0.030 कि.ग्रा.	रू0 0.36 लाख		
4.	ताजा फल मौसम अनुसार	50	0.100 कि.ग्रा. अथवा 01नग	रू0 1.08 लाख		
			योगः—	रू0 3.15 लाख		

बिड की शर्तेः—

1. बोली प्रतिभूति बोण्ड के बिना प्राप्त बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. संविदा प्रपत्र, नियम / शर्ते, संविदा से संबंधित दस्तावेज आदि निर्धारित बिड प्रपत्र शुल्क रू. 200 का डीडी / बैंकर्स चैक अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह कोटा के कार्यालय में जमा कराकर 06 / 05 / 2022 दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है या वेबसाईट **www.sppp.rajasthan.gov.in** से बिड प्रपत्र Online Download कर भरकर प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र सील बंद लिफाफे में, जिसके उपर **"मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल"** के **क्रयार्थ सीमित निविदा"** अंकित हो, अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा के कार्यालय में **दिनांक 06.05.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक पहुॅंच** जानी चाहिए। प्राप्त बिड को **दिनांक** 06.05.2022 **को दोपहर 03.00 बजे से** उपस्थित बिडदाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा में खोला जाएगा।
4. बिड के साथ में **बिड प्रतिभूति राशि रु0 6,300 / —** आयकर विभाग द्वारा जारी **PAN Card** की बिडदाता द्वारा स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
5. **निविदादाता को सभी सामग्री की दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
6. उपापन संस्था न्यूनतम दर वाले संविदा को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी संविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी। समस्त मामलों में उपापन कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य रहेगा।
7. बिड प्रपत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम—2012 व नियम—2013 के प्रावधान व समय समय पर किए गए संशोधन भी उक्त कोटेशन आंमत्रण सूचना पर लागू होंगें।

(अर्पित जैन)
अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग, नयागावं कोटा

कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, नयागावं, कोटा **email id- balakhomekota123@gmail.com**

क्रमांकः—असगृ / 2022 / 392

दिनांकः—27.04.22

मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ सीमित निविदा 05 / 2021—22

(अन्तर्गत सूचना संख्या 05 / 2022 क्रमांकः—असगृ / 2022 / 392 दिनांकः—27.04.22)

1. बिड मूहरबंद लिफाफे में, जिसके उपर " **मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ सीमित निविदा**" अंकित हो, अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा के कार्यालय में दिनांक 06.05.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक पहुॅच जानी चाहिए।
2. प्राप्त निविदा को दिनांक 06.05.2022 को दोपहर 03.00 बजे से उपस्थित बिडदाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
3. बिड प्रपत्र शूल्क रू. 200 / — डी0डी0 / बैंकर्स चैक / नं0............... दिनांक.................

(अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा के नाम कोटा मुख्यालय पर भुगतान योग्य)

4. **बिड प्रतिभूति राशि रु0 6,300 / — के डी0डी0 की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

बोलीदाता निम्न दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी—

क्र.सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जावे
1.	1. बोलीदाता फर्म का पूरा नाम एवं पता (पंजीयन प्रमाण पत्रानुसार)	
	2. फोन नंबर **STD Code** सहित	
	3. ई मेल आई डी	
	4.अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद (Authorised signatory) (अधिकृति पत्र संलग्न करावें)	
	5. मोबाईल नम्बर	
2.	बोली किससे संबंधित है	अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा
3.	बोली का सन्दर्भ	निविदा संख्या 05 / 2021—22 क्रमांकः—असगृ / 2022 / 392. दिनांकः—27.04.2022
4.	**बिड प्रतिभूति राशि (रु0 6,300 / — के डी0डी0 की प्रति)**	
5.	बिड प्रपत्र शूल्क रू. 200 / —	डी0डी0 / बैंकर्स चैक / नं0...................... दिनांक.................

6.	PAN No. (पेन कार्ड) की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।	
7.	फर्म के बैंक खाते का विवरण 1. बैंक का नाम 2. ब्रांच का नाम 3. खाता संख्या 4. IFSC कोड	
8.	क्या फर्म को कभी केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची (Black Listed) में दर्ज किया गया है? यदि हॉ तो विवरण देवे और यदि नहीं तो Annexure –A में घोषणा करें।	
9.	बोलीदाता के थोक विक्रेता/एक मात्र सोल या उप विकेता/प्राधिकृत सोल विक्रेता/विपणन एजेन्ट होने के संबंध में घोषणा एस0आर0 11 संलग्न करें Annexure –B	
10.	संलग्न Annexure –C हस्ताक्षरित	
12.	संलग्न Annexure –D हस्ताक्षरित	
13.	संलग्न Annexure –E हस्ताक्षरित	

मै/हम **अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा** द्वारा जारी की गई निविदा संख्या 05/2022 क्रमांकः–असगृ/2022/392 दिनांकः–27.04.2022 में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए है) में दी गई समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए समक्ष होगा।

बिड

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)–(कार्यालय)
मोबाईल नम्बर
ई–मेल

Annexure-A

ब्लेक लिस्ट/अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा सामान/सामग्री की गुणवत्ता एवं संतोषप्रद आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)–
(कार्यालय)

मोबाईल नम्बर
ई–मेल

Annexure-B

एस. आर. 11

—:निविदादाताओं द्वारा घोषणा:—

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेन्ट/उप विक्रेता/विक्रेता हूं/हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)–
(कार्यालय)
मोबाईल नम्बर
ई–मेल

Annexure –C

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एंव किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग,कोटा

निविदा में ताजा पत्तेदार हरि सब्जी/बिना पत्तेदार सब्जी/फल आपूर्ति संबंधित विवरण

	संस्था में स्वीकृत आवासनियों की संख्या	50	
1.	आपूति सामग्री का नाम	ताजा फल एवं पत्तेदार हरि सब्जी, बिना पत्तेदार हरि सब्जी, प्याज,लहसून,हरि मिर्ची, हरा धनिया इत्यादि	
	कार्य का विवरण	आपूर्ति समय एवं संक्षिप्त विवरण	अनुमानित राशि
	अधीक्षक राजकिय सम्प्रेक्षण एंव किशोर गृह,बाल अधिकारिता विभाग,कोटा में आवासित बालकों, हेतु प्रतिदिन प्रातः 8.00 से 10.00 बजे के मध्य तक संस्था परिसर में ताजा फल एवं पत्तेदार हरि सब्जी, बिना पत्तेदार हरि सब्जी, प्याज, लहसून, हरि मिर्ची, हरा धनिया इत्यादि आपूर्ति कार्य	परिसर मे प्रातः 10.00 बजे से पूर्व आवासी बालको की वास्तविक उपस्थिति संख्या अनुसार निम्न विवरणानुसार सब्जी/फल की आपूर्ति करनी होगीः– 1. प्रतिदिन प्रति बालक 0.100ग्रा0 पत्तेदार सब्जी मौसमानुसार 2. प्रतिदिन प्रति बालक 0.130ग्रा0 बिना पत्तेदार सब्जी मौसमानुसार 3. प्रतिदिन प्रति बालक 0.030ग्रा0 प्याज,लहसून,अदरक 4. प्रतिदिन प्रति बालक 01नग फल(0.100ग्रा0) अथवा 0.100 ग्राम ताजा फल मौसमानुसार	3.15 लाख वार्षिक

निविदा की कुल राशि रू 3.15 लाख शब्दो मे रूपये तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र

नोट :– 1. सवेदक द्वारा प्रस्तुत दरें (समस्त करों /शुल्क सहित/एफ.ओ.आर. आपूर्ति सहित) प्रस्तुत की जायेगी।
2. प्रतिदिन ताजा सब्जी एवं फल की आपूर्ति दी जायेगी।
3. खराब व पुरानी सब्जी एवं फल की आपूर्ति स्वीकार नही किये जायेगी जिसे तुरन्त संवेदक के द्वारा बदलकर देना होगा।
4. प्रतिमाह 1 से 5 तारीख के मध्य बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
5. बजट उपलब्धता अनुसार पिछले माह के बिल का आगामी माह में भुगतान देय होगा।
6. नियमानुसार आवश्यक करों की बिल से कटौती देय होगी।
7. माह में तीन बार बिना किसी ठोस कारण से आपूर्ति में असफल होने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

हस्ताक्षर सवेंदक/बोलीदाता

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म उक्त तकनीकी मापदण्ड अनुसार सामग्री सप्लाई करने को बाध्य रहेगें।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 (निवास)–
(कार्यालय)

मोबाईल नम्बर
ई–मेल

Annexure-D

मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल_के क्रयार्थ सीमित निविदा 05/2021–22

नोटः–निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा निविदा प्रेषित करते समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए, इन शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इस निविदा/अनुबन्ध के क्रम में ली जाने वाली सभी आपूर्ति पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 प्रभावी होंगें।

1. निविदा दाताओं को निविदा सूचना, बिड प्रपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यालय **अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह नयागावं कोटा** के नाम से संबोधन करते हुए मुहर बंद **प्रथम लिफाफे** में अपनी बिड जिस पर " **मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल**_के क्रयार्थ सीमित निविदा **तकनीकी बिड**" लिखा हो में प्रस्तुत करनी होगी। **द्वितीय लिफाफे** में **मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल**_के क्रयार्थ सीमित निविदा **वित्तीय बिड** प्रपत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा। दोनो ही लिफाफे को एक अन्य बडे लिफाफे में जिस पर ' **मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल**_के क्रयार्थ सीमित निविदा " लिख कर कार्यालय में **निर्धारित समय दिनांक 06.05.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है।**
2. बिड प्रपत्र मूहरबंद लिफाफे में कार्यालय **अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह नयागावं कोटा** में व्यक्तिगत रूप से जमा कराई जा सकती है अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा सकती है। यदि लिफाफे पर उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित नही किया जाता है तो उपापन संस्था इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी। डाक से प्राप्त होने वाली निविदाएं निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। देरी एवं विलम्ब से प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार्य नही होगी। डाक डिलीवरी में रही किसी खामी के लिए उपापन संस्था कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नही करेगी।
3. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तो की स्वीकृति एवं सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. **बोलीदाता द्वारा निम्नानुसार बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें :–प्रथम लिफाफा**

   (1) निविदा प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित
   (2) निविदा प्रपत्र का शुल्क (रू. 200/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की प्रति)
   (3) बिड प्रतिभूति राशि रु0 6,300/– के बैंक ड्राफ्ट की प्रति
   (4) Annexure –A,B,C,D,हस्ताक्षरित
   (5) निविदादाता को पेनकार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि
   (6) अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र जो बिड शर्तो के अधीन आवश्यक हो।

5- द्वितीय लिफाफा – Annexure –E हस्ताक्षरित (वित्तीय बोली प्रपत्र)

6. निविदाएं/बोली थोक/रीटेल विक्रेता/बोनाफाईड/प्राधिकृत डीलर/सोल एजेंट/विपणन एजेन्ट/सद्व्यवहारी द्वारा ही दी जाएगी। अतः Annexure–B(एसआर–11 प्रपत्र) में घोषणा प्रस्तुत करेंगें।
7. **आयकर प्रमाण पत्र एवं पेन नम्बरः**–निविदादाता द्वारा पेन कार्ड की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी ।
8. **बिड प्रपत्र का मूल्यः**–बिड प्रपत्र **अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह नयागावं कोटा** कार्यालय में दिनांक 06.05.2022 को दोपहर 01.00 बजे तक डी0डी0/बैंकर्स चैक/ रू. 200/– रू. की प्रति जमा करा कर भी प्राप्त किए जा सकते है।
9. **ब्लेक लिस्टेड के संबंध में घोषणाः**–निविदादाता/बोलीदाता फर्म को Annexure –A में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा सामान/सामग्री की गुणवत्ता एवं सन्तोष्रद आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।
10. **निविदा प्रपत्र की छपाई/प्रीन्टीगः**–निविदा प्रपत्र कार्यालय से ही प्राप्त किया जा सकता है सभी परिस्थितियों में सफेद कागज पर छपे हुए या प्रीन्ट किया गया निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा। अन्य किसी रंगीन कागज पर प्रीन्ट किया गया निविदा प्रपत्र अस्वीकार कर दिया जावेगा।
11. **निविदा प्रपत्र का भरा जानाः**–निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नही किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में, निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
12. **बिड प्रपत्र शुल्क में किसी भी प्रकार की छुट प्रदान नहीं की जावेगी।**
13. **निविदादाता द्वारा राजस्थान की लघु उद्योग इकाई के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने अनिवार्य होंगें** :– राजस्थान की लघु उद्योग इकाईयों जो आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत हैं, पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति एवं वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग के आदेश क्रमांक प.

1(1)साविलेनि/2007/दिनांक 19.10.2010 परिपत्र सख्या 24/2010 के बिन्दु संख्या 8 (आई) के अनुसार 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निविदत्त आईटम का स्पष्ट उल्लेख हो। उक्त दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा, और निर्धारित बिड प्रतिभूति बोण्ड/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. **मूल्य अधिमान** :–मूल्य अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 एवं उसमें किये संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार क्रय अधिमान दिया जावेगा। **प्रस्तुत दरों की तुलना प्रति आईटम एवं सभी आईटम की कुल लागत दोनो के आधार पर लिया जाकर निर्णय लिया जावेगा।**
15. **दरों का अंकन**:–दरों को शब्दों और अंको, दोनों में ही लिखा जाएगा। गलतियां तथा/अथवा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई संशोधन हों तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए और उन पर तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाऐं। प्रस्तुत दरों में, अंकों एवं शब्दों में वर्णित दरों में अन्तर नहीं होना चाहिए ऐसी परिस्थिति में जो भी दर कम होगी वो उपापन संस्था द्वारा मान ली जाएगी। माल का परिदान संबन्धित स्थानों के परिसर पर किया जाएगा अतः निविदादाता को उक्त स्थानों पर एफ0ओ0आर0 दर प्रस्तुत की जानी होगी।
16. **वित्तीय दरें एवं सामग्री की प्रदायगी**:–

    (अ)वित्तीय बोली प्रपत्र में दरें सभी प्रकार के खर्चो (जैसे जी0एस0टी0, भाडा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर **सहित) उल्लेखित की जाएगी। माल पहुँचाने का उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। दरों में जीएसटी की राशि सम्मिलित की जावे। सभी प्रकार के जीएसटी(CGST/RGST/IGST) का भुगतान बिल पर अलग से नहीं किया जाएगा। उसे कोट की गई दर में ही सम्मिलित** माना जाएगा।

    (ब)बोलीदाता आवश्यक रूप से मूल दर(समस्त खर्चो सहित) का कॉलम में अंकन करेगा। यदि बोलीदाता वित्तीय बिड में किसी प्रकार के जीएसटी का मूल दर के निर्धारित कॉलम में मूल दर में जोड कर अंकन नही करता है तो प्रस्तुत दर जीएसटी सहित मानी जावेगी। ऐसी परिस्थिति में जीएसटी को अलग से दर्शाने या निविदादाता का किसी प्रकार का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नही होगा।

    (स) वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 65 एवं 66 के अनुसार होगा।
17. अस्वीकृत किया जाना :–

    (अ)निरीक्षण के या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गयी वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।

    (ब)तथापि, यदि सरकारी कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अंशतः साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी, निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

    (स)अस्वीकृति की सूचना के 02 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएंगी, उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा और उसे अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस रीति से कर दे जिसे वह उपयुक्त समझे।
18. परिदान कालावधिः– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो चुकी है वह सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रदाय आदेश की तारीख से निर्धारित कालावधि के भीतर कार्यालय को प्रदाय हेतु व्यवस्था करेगा।
19. नमूना एवं तकनीकी मापदण्ड :– Annexure –C में वर्णितानुसार सामग्री का तकनीकी रूप से निर्दिष्ट होना **आवश्यक है। दिये गये तकनीकी मापदण्ड से कम की साामग्री स्वीकार्य नही होगी।**
20. **प्राईस – शिड्युलः**– में वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा वृद्वि की जा सकती है। जिसके लिए बोली स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। क्रय समिति न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही होगी। क्रय समिति बोली को स्वीकार करने/स्वीकार न करने/निरस्त करने या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। क्रय समिति का निर्णय वैधानिक तौर से सर्वोत्तम निर्णय माना जाएगा तथा सभी पक्षकारों के लिए मानने के लिए बाध्यकारी रहेगा।
21. **कार्यादेश की मात्रा एवं राशि की सीमा**:–यदि क्रय अधिकारी निविदत्त सामग्री में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा प्ररूप में वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजे हेतु किसी दावें का हकदार नहीं होगा। दरें बोली खोले जाने की दिनांक से 31.03.2023 तक के लिए लागू रहेंगी। निविदादाता को चाहे कार्य आदेश अलग–अलग समयावधी में दिये जाएं उसके द्वारा बिड प्रपत्र में भरी गई दरें ही दिनांक 31.03.2023 तक मान्य रहेगी एवं उन्ही दरों पर भुगतान स्वीकृत किया जाएगा।

संविदा में **मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल** के क्रयार्थ अनुमानित लागत रू. 3,15,000 /–का उल्लेख किया गया है। निविदादाता को उक्त लागत तक कार्य आदेश स्वीकृत किया जाना अनिवार्य होगा बजट सीमा में क्रयादेश स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर दिनांक 31.03.2023 तक दिये जा सकेगें। अनुमानित लागत से कम के क्रयादेश देने हेतु उपापन संस्था स्वतंत्र रहेगी।

26. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः**—प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपृहत किया जा सकेगा :—

1—जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

2—जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

3—प्रतिभूति निक्षेप को समपृहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

4—कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि उस मामले में जहॉ उपापन संस्था नमूनों को परीक्षण हेतु भिजवाती है एवं उसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त होने पर यदि निविदादाता तय समय सीमा में सामग्री को स्वयं के खर्चे पर नही बदलता है तो बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

27. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रय समिति से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

28. **भुगतान** :—

1—आपूर्ति पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान सामग्री की जांच व सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में होने का प्रमाण पत्र स्थान(जहां सामग्री सप्लाई की गई है।) से प्राप्त होने के पश्चात किया जाएगा।

2—जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगें।

3—विवादास्पद मदों के संबंध में, नियमानुसार राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

4—फर्म के बिलों से भुगतान के समय नियमानुसार करों की कटौती की जाएगी।

5—आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा भुगतान के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें :—

(1)—बिल दो प्रतियों में

(2)—पेन कार्ड की छाया प्रति

(3)—बैंक पास बुक की छाया प्रति या बैंक चैक जिसमें निविदादाता का नाम हो।

29. **वसूलियाँः**—परिनिर्धारित नुकसानी कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गयी वस्तुओं की वसूली साधारण तौर पर बिल में से कटौती करके की जाएगी। क्रय समिति कम प्रदाय, टूट—फूट/नुकसान या रद्द की गयी वस्तुओं की सीमा तक राशि को तब तक रोके रखेगा जब तक कि वे संतोषजनक रूप से बदली नहीं जाएगी। यदि प्रदायकर्ता ऐसा नही करता है तो राशि की वसूली उसको देय बकायों मे से कर ली जाएगी । यदि कोई कार्य शेष रहे तो उसकी मांग प्रदायकर्ता से की जाएगी तथा जब वसूली संभव न हो, तो उपापन संस्था प्रवृत्त विधि का सहारा लेगी।

30. **निविदादाता स्वयं की शर्तेः**—यदि निविदादाता ऐसी शर्तों को आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा पर संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमे से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

31. **परिसमापित नुकसानी(L.D.)**:— परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानो के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बिडदाता प्रदाय करने में असफल रहा है (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्ते लागू होगी)

1—विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिए विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

2—एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5प्रतिशत

3—आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीनचौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5प्रतिशत

4—विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

5—प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

6—परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

7—यदि प्रदायकर्ता, किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा से घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

8—यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाताओ के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

9—परिनिर्धारित क्षति राशि की कटौती फर्म के लम्बित भुगतान राशि के पेटे जमा राशि में से की जावेगी।

32. **पुनरादेशः**—सामान/वस्तु की राशि अनुमानित है। अनुबंध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय, अनुमानित कीमत से कम हो सकती है जो क्रय राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसरण में निम्नानुसार होगीः—

Annexure-E

कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, नयागावं, कोटा email id- balakhomekota123@gmail.com

क्रमांकः–असगृ / 2022 / 392 दिनांकः–27.04.22

मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ सीमित निविदा 05 / 2021–22

(अन्तर्गत सूचना संख्या 05 / 2022 क्रमांकः–असगृ / 2022 / 392 दिनांकः– 27.04.22)

क्र. सं.	नाम सामग्री	सप्लाई मात्रा	दर (समस्त खर्चो एवं जीएसटी सहित) प्रति किलोग्राम / यूनिट रू. में	
			अंकों में	शब्दों में
1	हरी सब्जी पत्तेदार मौसम के अनुसार	(दर प्रति कि.ग्रा. ही प्रस्तुत की जाए)		
2	हरी सब्जी बिना पत्तेदार मौसम के अनुसार	(दर प्रति कि.ग्रा. ही प्रस्तुत की जाए)		
3	प्याज, लहसून, अदरक, हरी मिर्ची	(दर प्रति कि.ग्रा. ही प्रस्तुत की जाए)		
4.	ताजा फल मौसम के अनुसार	(दर प्रति कि.ग्रा. अथवा (प्रति 01 नग / 0.100 ग्राम) ही प्रस्तुत की जाए)		

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

पूर्ण पता

बिड दाता का नाम

टेलीफोन न0 (निवास)–
(कार्यालय)

मोबाईल नम्बर
ई–मेल